International Journal of Applied Research 2015; 1(10): 617-620

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(10): 617-620
www.allresearchjournal.com
Received: 26-07-2015
Accepted: 27-08-2015

जावेद अहमद
छात्र विश्वविद्यालय, लखनऊ

अखलाक अहमद
शोध प्राध्यापक शिक्षा संकाय इन्टीग्रल इन्टीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ

Correspondence
जावेद अहमद
छात्र विश्वविद्यालय, लखनऊ

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना

जावेद अहमद, अखलाक अहमद

साराँश
दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई हैं जा`हमारे समाज की जड़ो में व्याप्त हैं। यह प्रथा हमार`समाज को खोखला एंव संवेदन हीन बना रही हैं। इसी दानव के कारण न जान`कितनी लड़कियां दहेज की बलि चढ़ जाती है। इस शोध का उद्येश्य व्यावसयिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियां`की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना हैं तथा यह भी जानना है कि विभिन्न संकाय के विद्यार्थियो`में दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में क्या अन्तर हैं। प्रस्तुत अध्ययन मे`लखनऊ जिले में व्यावसायिक स्नातक स्तर के विद्यार्थियो`को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया हैं। इस अध्ययन में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एम.बी.ए, बी.बी.ए. एंव बी.सी.ए में अध्ययनरत् विद्यार्थियो`का` लिया गया हैं। आभिवृत्ति मापन के लिए स्वनिर्मित दहेज प्रर्था के प्रति अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया हैं। शोध के परिणाम मे छात्राऐ, छात्रो`की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक अभिवृत्ति प्रदर्शित करती हैं। अतः छात्र एंव छात्राओ`में दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर हैं। एल.बी.एस तथा ज्ञान महाविद्यालय के विद्यार्थियो`में 0.05 स्तर पर दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर हैं जबकि 0.01 स्तर पर दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं हैं। स्नातक एंव परास्नातक स्तर के विद्यार्थियो`म`दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं हैं। एल.बी.एस महाविद्यालय के छात्र एंव छात्राओ`तथा ज्ञान महाविद्यालय के छात्र एंव छात्राओ`में दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति मे`सार्थक अन्तर हैं।

संकेत शब्द ÷ व्यावसायिक पाठय्क्रम, दहेज प्रथा, अभिवृत्ति, स्नातक स्तर।

प्रस्तावना
भारत एशिया के विशाल देशों में से एक हैं भारत की धरती स्वयं हिन्दू बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म की जननी है इसके अतिरिक्त यहां मुस्लिम, इसाई पारसी बहाई आदि धर्मो के मानने वाले भी काफी मात्रा में पाये जाते हैं। इन सभी धर्मो की संस्कृति में कुछ न कुछ अन्तर होते हुए भी कुछ ऐसी प्रथायें, रुढ़ियाँ पर परम्परायें आदि हैं जो सभी धर्मो एवं समाज में समान रुप से पायी जाती है। इन्ही रुढ़ियों परम्पराओं के अन्तर्गत एक प्रथा है दहेज प्रथा। यह एक ऐसी प्रथा है जो समाज को खोखला तथा समृद्धि हीन बना रही है। आज कल विवाह से पहले वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से दहेज के रुप में धन तय कर लिया जाता है फिर विवाह होता है। इस प्रकार अगर देखा जाय तो इस देश में दूल्हें बिकने जैसी परम्परा विद्यमान है। कितनी अजीब बात लगती है आज दहेज विरोधी कानून बन जाने के बावजूद इस प्रथा में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है साधारण भाषा में वर पक्ष वाले कहते है कि हम दहेज ले रहे है पर वे लेते है वर मूल्य जिसे वह विवाह पूर्व तय कर लेते हे और विवाह से पूर्व ही विवाह की पूर्ति के रुप में कन्या पक्ष को चुका देना होता है। यदि किसी कारण वश नही चुकाया तो क्लेश होता है। बारात वापस भी जा सकती है या फिर ससुराल में दुल्हन को उत्पीड़ित किया जाता है अथवा मार डाला जाता है या जला दिया जाता ह। दहेज के इस दानव से हम सबको कब छुटकारा मिलेगा। हमारे समाज में कब जागरुकता आयेगी कब लोग इस मूल्य को समझेगें कि दुल्हन ही दहेज है। दहेज एक ऐसी बुराई है जिसे हम लोग जानते हैं कि यह अत्यन्त खराब प्रथा है मगर फिर भी आत्म संतोष की कमी के कारण इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे है क्योंकि समाज का नैतिक मूल्य इतना गिर गया है कि वह आर्थिक मूल्यों के आगे सभी मूल्यों को हीन समझता है और आर्थिक तन्त्र के पीछे भागते हुए वह अन्य मलूयों को त्यागता जा रहा है अर्थात वह मानवता से मुँह मोड़ता जा रहा है।

दहेज की ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि
दहेज से सम्बन्धित वास्तविक अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी उन धार्मिक मान्यताओं को समझने का प्रयत्न करे जिनके द्वारा विवाह के समय कन्या को वस्त्र और आभूषण देने का प्रावधान किया गया था। अधिकांश प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में स्मृति काल से

पहले तक वैवाहिक मामलों में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से कहीं अधिक थे। तब वे अपनी इच्छा से अपने पति का चुनाव करने में स्वतन्त्र थी। स्वाभाविक है कि इस समय तक कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को किसी प्रकार के उपहार अथवा विशेष सुविधायें देने का प्रचलन नहीं था। आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले जब स्मृतियों की रचना होना प्रारम्भ हुई तथा इसके द्वारा व्यवहार के नये नियमों को निर्धारित किया जाने लगा तब विवाह के क्षेत्र मं स्त्रियां की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया गया इस समय मं मनु स्मृति को हिन्दुओं के सर्वोच्च धर्म ग्रन्थ के रुप में मान्यता दी जाने लगी मनु स्मृति मे ंविवाह के आठ स्वरुपों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया गया ह ैकि विवाह के सभी स्वरुपों में वाहय तथा प्रजापत्य विवाह सर्वोत्तम है स्वाभाविक है कि विवाह के यह स्वरुप न केवल बहुत अधिक महत्व पूर्ण बन गये बल्कि इससे सम्बन्धित नियमों का पालन व्यक्ति एक धार्मिक कर्तव्य के रुप में देखने लगे इस स्थिति में यह आवश्यक है कि दहेज के वास्तविक अर्थ को वाहय तथा प्रजापत्य विवाह क सन्दर्भ में समझा जाये क्योंकि स्मृति काल से आठ प्रकार के विवाहों के अन्तर्गत इन दो प्रकार को उत्तम समझा गया है। मनु स्मृति में यह उल्लेख किया गया है कि कन्या के पिता द्वारा जब किसी विद्वान और शीलवान वर को आमंत्रित करके कन्या को उत्तम वस्त्रों और आभूषणों से आलंकृत करके कन्या दान किया जाता है तो उसे वाहय विवाह कहा जाता है (मनुस्मृति 3/27) मनु के अनुसार ऐसे विवाहों से उत्पन्न पुत्र सम्पत्तिवान, तेजस्वी और रुपवान होते है तथा वे सौ वर्ष तक जीवित रहते है (3/38,39,40)।

मनुस्मृति का यही वह विधान है जिसमें कन्या के विवाह के समय उसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण देने के प्रचलन को एक अनिवार्य प्रथा का रुप दे दिया बाद में वस्त्र और आभूषण देने की परम्परा के साथ जब प्रदर्शन और प्रतिष्ठा की भावना जुड़ गयी तो इसने एक रुढ़ि का रुप ग्रहण कर लिया यह एक नियम है कि व्यवहार का कोई भी ढ़ग पहले समाज के उच्च वर्ग से आरम्भ होता है और बाद में सामान्य व्यक्ति भी उसे अपनी प्रतिष्ठा का आधार मानकर उसी के अनुसार व्यवहार करना आरम्भ कर देते हैं चाहे उसके पास साधन हो अथवा न हो। स्वाभाविक है कि इस दशा में विवाह के समय कन्या का विभिन्न प्रकार के उपहार देना एक आवश्यक कृत्य बन गया धीरे धीर ेऐसे विचार पनपते गये कि जो व्यक्ति विवाह के समय अपनी कन्या को तरह–तरह के उपहार नहीं देता वह अधार्मिक है तथा ऐसा विवाह शास्त्र सम्मत नहीं है। तात्पर्य यह है कि दहेज का वास्तविक अर्थ विवाह की एक शर्त के रुप में कन्या के माता पिता द्वारा वर पक्ष को एक निश्चित राशि या उपहार देना नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य अपनी इच्छा से एक धार्मिक प्रतीक के रुप में कन्या को कुछ वस्त्र तथा आभूषण देना रहा है।

अध्ययन की आवश्यक्ता

हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रथायें एंव परम्परायें प्रचलित है। लेकिन इस परम्परा प्रधान देश में दहेज रूपी कुप्रथा भी प्रचलित है हमारे देश में ही नही वरन् एशिया के अनेक देशो मे यह कुप्रथा आज भी प्रचलित है। दहेज आज हमारे स्वार्थ के लिया एंव दिया जाता है। वर्तमान स्थिति यह है कि जो व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित व सम्पन्न है वह दहेज का विरोधी होने के स्थान पर उतना ही अधिक दहेज लेने का प्रयास करता है। यह समाज की एक घिसी पिटी बुराई है जो कि अपने बिगड़े रूप के कारण एक महान चुनौती बनकर उभरी है सिर्फ कानून इस बुराइ का अकेले सामना नही कर सकता है समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है जब तक समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वंय इस प्रथा को समाप्त करने का प्रण नही करेगा यह समस्या समाज में यथावत् बनी रहेगी। प्रस्तुत अध्ययन मे दहेज प्रथा के प्रति व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र एंव छात्राओ ंकी अभिवृत्ति जानने का प्रयास किया गयाा है। क्योंकि छात्र और छात्रायें समाज का महत्वपूर्ण अंग है और यह भावी समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है अभिवृत्ति परिवर्तन शील होती है यदि छात्र एवं छात्राओ ंकी अभिवृत्ति इस प्रथा के प्रति नकारात्मक होगी और इस प्रथा को जड़ से समाप्त करने के पक्ष मे होगे तभी वह एक जन आन्दोलन का रूप होगा आर यह कुप्रथा अपने अन्त तक पहुंचेगी। जिससे दहेज रहित विवाहों को प्रोत्साहन मिलेगा और कानून सरकार एंव स्वयं के इस प्रयासो से इस कुप्रथा की समाप्ति हो सकेगी जिससे विवाह के ऊपर जो कलंक सदियों से लगता चला आ रहा है। वह समाप्त हो सकेगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. दहेज प्रथा के प्रति व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों एंव छात्राओं की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. दहेज प्रथा के प्रति विभिन्न कालेजों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्राओ ंकी अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. विभिन्न कालेजों के व्यावसायिक स्नातक एंव परास्नातक स्तर के छात्र छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. दहेज प्रथा के प्रति स्नातक और परास्नातक विद्याार्थियों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना। अध्ययन की परिकल्पनायें –
5. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र एवं छात्राओ ंकी दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही ह ै।
6. दोनो महविद्यालयों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोइ सार्थक अन्तर नही है।
7. व्यावसायिक स्नातक एंव परस्नातक विद्यार्थियों की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति तें कोई सार्थक अन्तर नहीं ह।
8. एल.बी.एस.कालेज के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
9. ज्ञान महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है।
10. दोनों महाविद्यालयों के व्यावसायिक परास्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है।
11. ज्ञान महाविद्यालय के व्यवसयिक स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है। सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

(1). गुप्ता, एन0 (2003) – इनके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रगतिशील समाज में महिलाओ के पक्ष मे विभिन्न मानवाधिकार सक्षम हैं परन्तु मूल्यपरक पारम्परिक समाज में दहेज प्रथा समस्या बनकर उभर रही है उन्होने पाया कि दहेज ऐसी प्रथा किसी संस्कृति का आन्तरिक भाग होती है परन्तु समस्या तब आती है। जब लोग धार्मिक एंव नैतिक कर्तव्यां को छोड़कर ऐसी प्रथाओं का दुरूपयोग करते हैं उसका मुख्य कारण बालिकाओ का आर्थिक रूप से परावलम्बी होना है।

(2). पाल्कर, वी (2003)– इनक ेअध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय दण्ड संहिता म ेदहेज प्रथा क ेविरूद्ध महिलाओं हेतु दिये गये प्रावधाने का पुणे और अन्य स्थानो मे प्रभाव का निरीक्षण करना। अध्ययन के परिणाम स्वरूप पति अथवा ससुराल वालों ने उनसे दहेज के लिए हर तरह की हिंसा का प्रयोग किया है ओर संविधान भी उनकी मदद करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है ।

(3). भोपाल, कलवन्त, (2004) – इन्होने अपने अध्ययन मे यह जाने का प्रयास किया ह ैकि शिक्षा का क्या प्भाव दक्षिण एशियायी महिलाओ पर पड़ा है इन्होने जाना कि पढ़ी लिखी युवतिया दहेज प्रथा के विरूद्ध है वे अपना वर खुद चुनना पसन्द करती है तथा दहेज बिल्कुल पसन्द नहीं करती जो युवतियां जितना शिक्षित हैं वे उतना ही देहज जैसे रिवाजो कि विरूद्ध है।

अनुसंधान विधि

जनसंख्याः– प्रस्तुत शोध में व्यावसायिक पाठ्यक्रम मे पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है अतः व्यावसायिक पाठ्यक्रम बी.सी.ए., बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम.सी.ए., बी. टेक. आदि में पढ़ने समस्त विद्यार्थीयों इस शोध के जनसंख्या हो सकते है।

न्यादर्श विधि – शोध कर्ता ने प्रस्तुत शोध मे न्यादर्श चयन के लिए दो कालेजों के छात्र छात्राआं मे से या यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि से चयन किया। इस विधि में जनसंख्या मे प्रत्येक इकाई के चुने जाने की सम्भावना बराबर रहती है। किसी एक व्यक्ति का चयन किसी भी तरह से अन्य दूसरे व्यक्ति के चयन से जुड़ा नही होता अर्थात सभी के चुने जाने की सम्भावना बराबर होती है।
न्यादर्श चयन के लिए लखनऊ में कुर्सी रोड स्थिति दो महाविद्यालय (ज्ञान इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलोजी एण्ड मैनेजमेण्ट तथा लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेण्ट स्टडीज) को चुना गया है। जिसमे से ज्ञान महाविद्यालय से 85 छात्र तथा 34 छात्राओं का चयन किया गया तथा एल.बी.एस.महविद्याालय से 44 छात्र तथा 42 छात्राओं का चयन किया गया। प्रस्तुत शोध में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एम.बी. ए, बी.बी.ए., बी.एस.ए. में अध्ययनरत छात्र–छात्रओं को चुना गया है। उपकरण रचना/निर्माण – शोध कर्ता ने प्रसतुत शोध के लिए मानकीकृत उपकरण खोजने का प्रयास किया परन्तु इस समस्या से सम्बन्धित उपकरण प्राप्त नही हो सका। अन्ततोगत्वा शोध कर्ता ने अभिवृत्ति मापने के लिए स्वानिर्मित अभिवृत्ति मापनी का निमार्ण किया। जो लिकर्ट विधि पर बनायी गयी है शोधकर्ता ने उपकरण निर्माण कि लिए सर्वप्रथम 76 कथनों को बनाया तथा अपने शोध निर्देशक को दिखाया। निर्देशक ने उसमें से 24 कथनो को जो कमजोर थे निकाल दिया तत्पश्चात 52 कथनो को फिर लिखकर अन्य विषय विशेषज्ञ को दिखाया गया विषय विशेषज्ञों ने इन कथनो में से 9 कथनो ककाे और निकाल दिया फिर शेधकर्ता ने 43 कथनों को सभी विषय विशेषज्ञयों को दिखाया अन्तोगत्वा 6 कथनो को फिर निकाल गया। अन्तिम रूप से अभिवृत्ति मापनी प्रश्नावली मे 37 प्रश्न है जिसमें से सात नकारात्मक कथन है तथा 30 सकारात्मक कथन है। प्रस्तुत अभिवृत्ति मापनी में पांच बिन्दु (स्केल) पैमाना , लिया गया है जिसमें प्रतिकूल अभिवृत्ति वाले कथनो पर पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित असहमत तथा पूर्णतः असहमत के लिए क्रमशः 1 , 2, 3, 4, तथा 5 अंक दिये गये तथा अनुकूल वाले कथनो पर पूर्णतः सहमत, सहमत,सहमत, अनिश्चित तथा पूर्णतः असहमत के लिए क्रमश 5,4,3,2,1 अंक दिये गये। इसमें टिकर्ट की योग विधि के अनुसार प्रत्येक कथनों पर प्रयोज्य द्वारा अकों को एक साथ जोड़कर कुल प्राप्तांक द्वारा अनुकूल तथा प्रतिकूल अभिवृत्ति का पता चलता ह।ै इस प्रकार अध्ययन के लिए उपकरण ''दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति मापनी'' तैयार की गयी जिसमें अभिवृत्ति मापनी बनाने के लिए सभी सम्बन्धित सूचना एंव प्रकिया का प्रयोग किया गया।

परिकल्पनाओं का परीक्षण एवं परिणाम

परिकल्पना 1:– व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। टी परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि व्यावसायिक पाठयक्रम के छात्रो का मध्यमान छात्राओ के मध्यमान से काफी कम है इसका सीधा अर्थ यह निकल कर आता है दहेज प्रथा के प्रति छात्रों की अपेक्षा छात्रायें अधिक नकारात्मक अभिवृत्ति रखती हैं अर्थात छात्रों की अभिवृत्ति दहेज प्रथा के प्रति कम नकारात्मक है क्योंकि छात्रों को वैवाहिक सम्बन्ध क दौरान बहुत सारी सुविधायें धन मान सम्मान व अधिकार मिलते हैं जिनका वह अपने जीवन मं उपयोग करते हैं। अर्थात उनको दहेज प्रथा से लाभ की आशा रहती है इसलिए वह छात्राओं की अपेक्षा सकारात्मक नजरिया रखते हैं। इसके विपरीत छात्रायें जिनकी अभिभावक तथा निकट सम्बन्धी अधिक से अधिक धन देकर वर पक्ष को खुश रखना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्ट नहीं मिलती अर्थात उनकी इच्छानुसार कन्या पक्ष पूर्ति नहीं कर पाता तो विवाहिता को तरह तरह के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है अर्थात नारी को ही दहेज प्रथा की बलि चढ़नी पड़ती है। इसलिए छात्रायें दहेज प्रथा के प्रति ज्यादा नकारात्मक अभिवृत्ति रखती हैं।

परिकल्पना 2:– दोनों महाविद्यालयों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। टी परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि 0.01 स्तर पर दोनों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है जिसका कारण दोनों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के पाठयक्रम शहरी वातावरण एवं रोजपरक शिक्षा आदि बिन्दुओ में समानता है इसलिए 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है। जैसे ही हम सार्थकता का स्तर बढ़ाते ह ैयह परिकल्पना अमान्य की ओर अग्रसर हो जाती है अर्थात् 0.05 स्तर पर महाविद्यालय अलग होने तथा विद्यालयी वातावरण अलग होने पर दोनों मे महाविद्यालय के विद्यार्थियों की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना 3:– व्यावसायिक स्नातक एवं परास्नतक विद्यार्थियों की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। दोनों महाविद्यालयों के व्यावसायिक स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक परीक्षण किया गया कि परास्नातक और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमान में बहुत कम अन्तर है अर्थात परास्नातक विद्यार्थियों का मध्यमान स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है। जो उच्च शिक्षा पाठयक्रम के साथ साथ विकसित हुई इस प्रथा के प्रति नकारात्मक नजरिये को दर्शाता है लेकन दोनों पाठयक्रम के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के बीच में इतना अन्तर नहीं है जिसे सार्थक कहा जा सके अर्थात 0.01 तथा 0.05 दोनों स्तर पर जो मान आ रहा ह ैवह टी मान से अधिक है अर्थात व्यावसायिक पाठयक्रम के स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना 4:– एल.बी.एस. कालेज के व्यावसायिक पाठयक्रम के छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। टी परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि छात्र और छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमान में काफी अन्तर है अर्थात छात्रों का मध्यमान छात्राओं के मध्यमान से काफी कम है जो यह दर्शा रहा है कि छात्राओं का नजरिया दहेज प्रथा के प्रति छात्रों अपेक्षा अधिक नाकारात्मक है क्योंकि ये छात्रायें ही विवाह के बाद में इस प्रथा का शिकार होती हैं इन्हें ही दहेज प्रथा से सम्बन्धित सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता ह ैअर्थात दहेज नारी पक्ष को लाभ नाममात्र जबकि हानियां असंख्य उठाना पड़ता है इसीलिए छात्रायें दहेज के प्रति अधिक नकारात्मक सोच रखती हैं। परीक्षण में टी का मान 0.05 तथा0.01 दो स्तर से अधिक आ रहा है अर्थात छात्र और छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना 5:– ज्ञान महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठयक्रम के छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है। पांचवी परिकल्पना जिसमें ज्ञानमहाविद्यालय के व्यावसायिक पाठयक्रम में छात्र छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में तुलनात्मक निरीक्षण या सार्थक अन्तर जानने का प्रयत्न किया गया है। छात्र एवं छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमान में काफी अन्तर है अर्थात छात्राओं का मध्यमान छात्रों के मध्यमान से अधिक है जो इन बात का द्योतक है कि छात्र दहेज प्रथा के प्रति कम जागरूक तथा अधिक सकारात्मक सोच वाले हैं अर्थात छात्रायें अधिक जागरूक तथा अधिक नकारात्मक नजरिया रखती हैं। क्योंकि इस प्रथा के कारण नारी जाति का सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता तथा इसी के कारण हत्या आत्महत्या जैसी घटनाये सामने आती हैं। अतः दोनों स्तरों पर (0.05 तथा 0.01) स्तरों पर आने वाले मान से टी का मान अधिक है अर्थात यह परिकल्पना दोनों स्तरो पर अस्वीकृत हो जाती ह ैअर्थात छात्र छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना 6:– दोनों महाविद्यालयों के व्यावसायिक परास्नातक स्तर क छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। दोनों महाविद्यालयों के व्यावसायिक परास्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। सामान्यतः यह देखने में आया है कि दहेज प्रथा के प्रति छात्राओं की सोच एवं अभिवृत्ति छात्रो की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है एवं दहेज प्रथा की शिकार उत्पीड़न मानसिक तथा शारीरिक रूप से यातनायें महिलाओं को ही सहन करनी पड़ती हैं जिसके कारण महिलायें दहेज प्रथा के प्रति अधिक नकारात्मक सोच वाली होती हैं जबकि छात्रों की अभिवृत्ति छात्राओं की तुलना में कम नकारात्मक तथा अधिक सकारात्मक होती है। अतः महाविद्यालय के व्यावसायिक परास्नातक स्तर के छात्र छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना 7:– ज्ञान महाविद्यालय के व्यावसायिक स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं। ज्ञान महाविद्यालय के व्यावसायिक स्नातक स्तर क छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है या नहीं है यह जानने का प्रयास किया गया है छात्र छात्राओं के मध्यमान को देखने से स्पष्ट होता है कि दोनों में पर्याप्त अन्तर है अर्थात छात्रों के प्राप्तांकों का मध्यमान छात्राओं के मध्यमान से बहत कम है जो कि दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति अन्तर कों दर्शा रहा ह ैलेकिन टी परीक्षण का मान तथा टी तालिका मान दखेने से ज्ञात होता है कि टी का मान (0.05 तथा 0.01) दोनों स्तर से कम है अर्थात जो अन्तर है वह सार्थक नहीं है जिससे यह परिकल्पना दोनो स्तरों पर स्वीकृत हो रही है अतः ज्ञान महाविद्यालय के व्यावसायिक स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन में व्यावसायिक पाठ्य क्रम के विद्यार्थियों की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति जानने का प्रयास किया गया है। इस शोध में यह तथ्य सामने निकल कर आया है। कि इस प्रथा के प्रति छात्र एवं छात्राओं की मनोवृत्ति में काफी अन्तर है अर्थात् छात्राओं की मनोवृत्ति छात्रों की अपेक्षा अधिक नकारात्मक है। छात्रायें दहेज प्रथा का विरोध छात्रों की अपेक्षा अधिक करती हैं। आज हमारे देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुए छः दशक से भी ज्यादा हो गये है इस लम्बे समय में बहुत सार शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई लेकिन अभी बहुत सारे उद्देश्य प्राप्त करना शेष रह गये हे इन शेष उद्देश्यों को प्राप्त करना अति आवश्यक है दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में भिन्नता यह दर्शा रही है कि समाज में लड़के और लड़की के बीच जो खायी है वह कम नहीं हुई है अर्थात् लड़के और लड़कियों में सामाजिक रूप से दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है जो समाज के पिछड़े पन का परिचायक है अतः यह बात स्पष्ट कही जा सकती है कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करना आवश्यक है यह परिवर्तन ऐसा किया जाये जिससे लोग पूजीवादी विचार धारा को त्यागकर आदर्शवादी एवं साम्यवादी विचार धारा अपना सके। जिससे समाज को इस प्रकार की रुढ़ियों एवं परम्पराओं से छुटकारा मिल सके। और समाज में लिंग भेद मिट कर समानता का भाव प्रस्फुटित हो सके। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में लड़के व लड़कियों के बीच की खाई को समाप्त किया जा सकता है अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन किये जाय जिससे स्त्री पुरुष दोनो की अभिवृत्ति दहेज प्रथा के प्रति नकारात्मक हो सके। जिससे यह प्रथा अपने अन्त की ओर उन्मुख हो सके इसके लिए आवश्यक है कि कानून सरकार स्वयं सेवी संघ तथा स्थानीय सम्भ्रान्त व्यक्ति मिलकर इसके प्रति जनान्दोलन चलाये जिससे दहेज रहित विवाहों को प्रोत्साहन मिले और विवाह पर सदियों से लगता चला आ रहा कलंक समाप्त हो सके। इस प्रकार इस शोध से यह बात निकल कर सामने आती ह ैकि छात्र एवं छात्राओं की दहेज प्रथा के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर है इसका सीधा अर्थ यह है कि पुरुषों का एक समूह ऐसा है जो इस प्रथा का पर्याप्त विरोध नहीं कर रहा है जबकि महिलाये इसे पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह अरुण कुमार (2006) उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान –मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली। कौल लोकेश (2006) शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली – विकास पब्लिकेशन हाउस, नोयडा।
2. शरीन एवं शरीन (2005) शैक्षिक अनुसंधान विधियां – अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
3. Kapadia, K.M. (2004) Marriage and family in India. & Popular Prakashan.
4. सिंह अरुण कुमार (2004) शिक्षा में शोध विधियां – मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली। आहूजा राम (2004) भारतीय सामाजिक व्यवस्था – रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली। सारस्वत मालती (2002) मनोविज्ञान की रूपरेखा – आलोक पब्लिकेशन लखनऊ। सिंह यू.बी (2002) दहेज प्रथा – हिन्द पब्लिकेशन हाउस, इलाहाबाद।
5. श्रीवास्तव के.सी. (1995) प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति –यूनाइटडे बुक प्रकाशन इलाहाबाद। Kapil, H. K. (1975) Elements of statistics in social sciences & vinod pustak mandir agra.
6. Lapier, R.T. (1972) The sociological significance of measurable attitude.
7. Mirza, R. Ahmad (1971) Dowry and Muslims & Aligarh law Society- Vol.-2.
8. Prabhu, P.N. (1963) Hindu Social Organization, & Popular Prakashan.